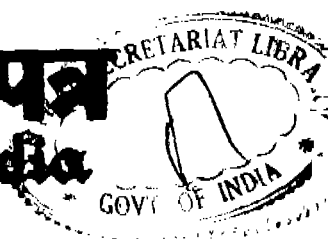


भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)

PART II--Section 3 —Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 342] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 1978/अग्रहायण 1, 1900
No. 342] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 22, 1978/AGRAHAYANA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त संजालय

(राजस्व विभाग)

अधीक्षणा

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1978

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 560 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 की नियम
8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क
और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 37 2 (2) के
अन्तर्गत आने वाली भारत के सातों अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव या भारत के बाहर संगठित

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सवों में प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कच की गइ चलीचित्र फिल्मों के प्रिन्टों के छूट देती है :

परन्तु यह सब ऐसी चलीचित्र फिल्मों के लिए भारत सरकार की सम्पत्ति बनी रहे ।

दि. 20 / 78-सी ई. का. सं. 60 / 9/78-सी एक्स 2]

टी. वी. सयराम, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts prints of cinematograph films falling under Item No. 37 II(ii) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and purchased by the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting for exhibition in the VII International Film Festival of India or International Film Festivals organised outside India :

Provided that every such film shall remain the property of the Government of India.

[No. 201/78-CE/F. No. 60/19/78-CX. 2]

T. V. SAIRAM, Under Secy.